



कृषि अनुसंधान केन्द्र

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर)
नौगावां, अलवर-301025 (राजस्थान)

ई-मेल: zdr.navgaon@sknau.ac.in

दूरभाष : 01468-296600

मोबाइल: 9413231557

डॉ. गोपाल लाल चौधरी
क्षेत्रीय निदेशक (अनुसंधान)

क्रमांक: एफ.(प्रक्षेत्र भंडार)/कृ.अनु.के.नौगावां/2024-25/100

दिनांक: 15.06.2024

हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदा

1. कार्य का नाम	: फसलों की हिस्सा आधारित खेती
2. बजट हैड	: चक्रीय निधि (Revolving fund)
3. कार्य की अनुमानित अवधि	: कृषि वर्ष 2024-25 (खरीफ, 2024 एवं रबी, 2024-25)
4. निविदा फार्म का शुल्क	: 500/-रुपये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नगद
5. धरोहर राशि	: 30000/- रुपये बैंक ड्राफ्ट/चैक अथवा नगद
6. कार्य की अनुमानित मात्रा/लागत	: लगभग 35.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल (लगभग 9.00 लाख रुपये)
7. निविदा क्रय करने की दिनांक व समय	: 25.06.2024 को प्रातः 11.00 बजे तक
8. निविदा जमा कराने की दिनांक व समय	: 25.06.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक
9. निविदा खोलने की दिनांक व समय	: 25.06.2024 को सांय 03.00 बजे
10. निविदा की शर्तें	: पृष्ठ संख्या एक से तीन
11. फसल व हिस्सेदारी का विवरण	: परिशिष्ट संख्या एक-पृष्ठ संख्या चार व पॉच
12. पत्राचार हेतु पता	: क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां-301025 जिला-अलवर फोन नं. 01468- 296600, मो.न. 9413231557


निविदा की शर्तें:-

1.	प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिस पर "हिस्सा आधारित खेती के लिए निविदा" लिखा हो को क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां, जिला अलवर को प्रेषित होनी चाहिए।
2.	प्रस्तावित प्रतिशत हिस्सेदारी फसल के सामने स्पष्ट लिखकर देनी होगी। किसी भी प्रकार की कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3.	यह हिस्सा आधारित खेती केवल कृषि वर्ष 2024-25 (खरीफ, 2024 एवं रबी, 2024-25) के लिए ही मान्य होगा।
4.	केन्द्र प्रक्षेत्र पर लगभग 35.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल उत्पादन किया जाना है, परन्तु कितने क्षेत्रफल में कौनसी फसल लगानी है इसका निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित बीजोत्पादन कार्यक्रम के आधार पर किया जायेगा।
5.	ट्रैक्टर संबंधी कार्य यथा डिस्क प्लाउ, हैरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाइजर ड्रिलिंग कार्य, कीटनाशक एवं खरतपवारनाशकों का छिड़काव आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जावेगी तथा इनसे सम्बन्धित कार्य में लगने वाले श्रमिक निविदादाता के रहेंगे। उक्त कार्यों में डीजल खर्च केन्द्र का रहेगा।

6.	फसल उत्पादन में लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फफूंदीनाशक, कीटनाशक, खरतपवारनाशक एवं अन्य आवश्यक आदान की आपूर्ति केन्द्र द्वारा की जावेगी।
7.	निविदादाता को सिंचाई संबंधी पाईप, फव्वारे, बैन्ड, टी, डाट आदि सामान गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक समस्त देखरेख की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं कार्य समाप्त होने पर उतनी ही संख्या एवं जिस स्थिति प्राप्त किये थे वापस लौटाने होंगे। सामान कम लौटाने एवं टूट-फूट होने पर सामान की कीमत कार्यालय में जमा करनी होगी।
8.	विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियायें संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार करने होंगे एवं आवश्यक औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी।
9.	प्रक्षेत्र पर कृषि कार्य के दौरान अथवा आने जाने के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना जैसे सांप काटना, विद्युत दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा इत्यादि की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/संवेदक की होगी तथा केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10.	सफल निविदादाता को कार्य शुरू करने के उपरांत वर्षपर्यन्त दिन-रात फसल खेत में से उठने तक प्रक्षेत्र पर मौजूद संपूर्ण संपत्ति यथा प्रक्षेत्र बांडूड़ी, पेड़-पौधे, ट्यूब-वैल, प्रक्षेत्र पर मौजूद सभी फसलें आदि की चौकीदारी एवं फसलों की नीलगाय व अन्य जानवरों से सुरक्षा का कार्य करना होगा। किसी भी प्रकार की क्षति होने पर नुकसान की भरपाई निविदादाता को करनी होगी।
11.	ट्यूब-वैलों पर स्थित मोटर-पम्प, स्टार्टर, मास्टर आदि सामान कार्य प्रारम्भ करते समय चालू हालत में निविदादाता को दी जावेगी एवं कार्य के समापन पर चालू हालत में ही वापस सुपूर्द करनी होगी। इस बीच खराब होने पर मरम्मत का व्यय निविदादाता को ही वहन करना होगा।
12.	ट्यूबवैलों की मोटरों को चलाने का कार्य निविदादाता को ही करना होगा एवं उसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी। ट्यूबवैलों के विद्युत बिलों का भुगतान कार्यालय द्वारा वहन किया जावेगा तथा अन्य साधन से सिंचाई करने पर व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी। सिंचाई हेतु उपलब्ध ट्यूब-वैल से आवश्यकतानुसार एवं उचित सिंचाई की अनुमति होगी।
13.	फसल उत्पादन में लगने वाले समस्त श्रमिकों की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। केन्द्र द्वारा किसी भी प्रकार के श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे।
14.	केन्द्र प्रक्षेत्र पर आवास की कोई सुविधा देय नहीं है। आवश्यकता होने पर इसकी व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के स्तर व स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।
15.	निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र प्रक्षेत्र पर मदिरा एवं अन्य किसी भी नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करेंगे और ना ही किसी अन्य को उपयोग करने देंगे एवं सेवन करते हुए पाये जाने पर केन्द्र द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
16.	केन्द्र पर फसलें बीजोत्पादन के लिए ही लगायी जाती है अतः अवांछित पौधों एवं खरपतवारों को निकालने के लिए आवश्यकतानुसार रोगिगं का कार्य संबंधित अधिकारी की देखरेख में निविदादाता को अपने श्रमिकों के द्वारा करवाना होगा। साथ ही साथ प्रक्षेत्र फसल बुवाई व बुवाई क्षेत्र के आस-पास खरपतवार व अन्य अवांछित पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
17.	फसल में आवश्यक सस्य क्रियाएँ, फसल कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य संबंधित कार्य संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार एवं मौसम की स्थिति को देखते हुए निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार संबंधित अधिकारी को होगा।
18.	किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए केन्द्र किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
19.	फसल की कटाई एवं थ्रेसिंग कार्य में लगने वाले समस्त संसाधनों यथा श्रमिक, थ्रेसर आदि की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। फसल की थ्रेसिंग का कार्य संबंधित अधिकारी की निगरानी में उनके निर्देशानुसार करना होगा। थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पाद को गोदाम तक लाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रौली केन्द्र उपलब्ध करायेगा।

20.	फसल को थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को गोदाम में लाकर समान वजन की बोरियों में भरना होगा एवं व्यवस्थित तरीके से धांग लगानी होगी। बोरिया केन्द्र उपलब्ध करायेगा। वजन तोलते समय नियमानुसार नमी एवं कचरा के लिए कुल वजन का 2 प्रतिशत की दर से काटा जायेगा एवं अधिक कचरा एवं नमी होने पर केन्द्र की कमेटी के निर्णय अनुसार वजन काटा जायेगा।
21.	निविदादाता को सभी कार्य समय पर सम्बंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कराने होंगे यदि कोई कार्य समय पर नहीं कराया गया या प्रभारी अधिकारी कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्य कार्यालय द्वारा करा लिया जावेगा व भुगतान ठेकेदार को करना होगा या कार्य संतोष जनक नहीं होने पर निविदा को बीच में भी निरस्त कर अगली वरीयता पार्टी को कार्य करने का आदेश क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान दे सकेंगे, जो कि निविदादाता को मान्य होगा।
22.	संबंधित अधिकारी के कार्य से संतुष्ट होने पर ही निविदादाता को हिस्सेदारी का अन्तिम भुगतान किया जा सकेगा।
23.	किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
24.	कृषि उपज मण्डी अलवर के 14 दिनों के औसत भाव (फसल निकालने की अवधि के 7 दिवस पूर्व एवं 7 दिवस बाद तक) के आधार पर या विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जो भी मूल्य होगा उसके हिस्से के उत्पाद का बिल कोष कार्यालय से पास होने के बाद बैंक द्वारा कर दिया जावेगा। केन्द्र अपने उत्पाद को किसी भी रूप में बेचे इसमें ठेकेदारों को कोई आपत्ति नहीं होगी।
25.	यह निविदा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम निविदा है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
26.	किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
27.	किसी प्रकार के सर्विस टैक्स/जी.एस.टी./आयकर या अन्य कोई अतिरिक्त कर हो तो स्पष्ट उल्लेख करें एवं विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के नियमानुसार आयकर कटौती के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
28.	सफल निविदादाता को समस्त शर्तों के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी, ऐसा लिखकर रुपये 500/- के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
29.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
30.	निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।

मैंने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है एवं मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार हिस्सा/बटाई की खेती करने हेतु सहमत हूँ।



निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
मय स्पष्ट नाम, पता व मोबाइल नम्बर

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

हिस्सा आधारित खेती हेतु
तकनीकी निविदा प्रपत्र

निविदादाता का नाम व पता मय दूरभाष :-

1. धरोहर राशि रूपये 30,000/- का विवरण: डी.डी./चैक/रशीद सं., दिनांक:
2. निविदादाता का पैन नं.: (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
3. निविदादाता की आधार संख्या: (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
4. निविदादाता को शर्तों पर सहमति हेतु अपने हस्ताक्षर मय सील करने है।
5. सफल निविदादाता को रूपये 500/- के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रहेगा।
7. कृषि उपज मण्डी अलवर के 14 दिनों के औसत भाव (फसल निकालने की अवधि के 7 दिवस पूर्व एवं 7 दिवस बाद तक) के आधार पर या विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जो भी मूल्य होगा उसके हिस्से के उत्पाद का बिल कोष कार्यालय से पास होने के बाद चैक द्वारा कर दिया जावेगा।
8. निविदा सीलबंद लिफाफे में जमा की जावेगी।
9. धरोहर राशि पर केन्द्र द्वारा किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता




कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

हिस्सा आधारित खेती के कार्य को सम्पादन हेतु निविदा प्रपत्र

मैं / हम नीचे दर्शाये गये फसलों में हिस्सा आधारित खेती के कार्य को पूरा करने के लिये निम्नलिखित दरे प्रस्तुत कर रहे हैं :-

क्र. सं.	मौसम	फसल का नाम	हिस्सा आधारित खेती के कार्य को पूरा करने की दरे (प्रतिशत)		विशेष विवरण
			दाना	भूसा	
1.	खरीफ, 2024	1. मूँग			
		2. उड़द			
		3. ग्वार			
		4. मूँगफली			
		5. अन्य फसल			
2.	रबी, 2024-25	1. गेहूँ			
		2. जौ			
		3. सरसों			
		4. अन्य फसल			

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
मय स्पष्ट नाम, पता व मोबाइल नम्बर


क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान